शासकीय महाविद्यालयों के लिए अतिथि विद्वानों का ऑनलाइन आमंत्रण (2016) - आवेदकों बाबत निर्देश

1. ऑनलाइन आमंत्रण प्रक्रिया में पंजीयन की अंतिम तिथि **19/08/2016** है।
2. आवेदको को अपना पासपोर्ट साईज़ फोटो एवं हस्ताक्षर वेबपोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
3. ऑनलाइन मॉडयूल में दर्ज जानकारियों के प्रमाण-स्वरुप, निम्न मूल दस्तावेजों की स्कैन-कॉपी, pdf फॉर्मेट में, वेबपोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य हैं :
   (i) **जन्म तिथि एवं नाम के प्रमाण स्वरूप:** HSSC अथवा अन्य समकक्ष परीक्षा की अंकसूची
   (ii) **अकादमिक उपलब्धियों के प्रमाण स्वरूप:** PG/M.Phil./Ph.D./NET/SET की अंक सूची अथवा अन्य प्रमाण-पत्र
   (iii) **संवर्ग के प्रमाण स्वरूप:** अनुसूचित-जाति / अनुसूचित-जनजाति / पिछड़ावर्ग के होने का प्रमाण पत्र
   (iv) **अनुभव प्रमाण स्वरूप:** अधिकतम पांच वर्षो के अनुभव के समस्त प्रमाण पत्र

   टीप: उपरोक्त सरल क्रमांक (i) से (iv) के लिए पृथक-पृथक pdf बनाकर कुल चार pdf ही अपलोड करना है।
4. आवेदक को विज्ञापित विषय में ही स्नातकोत्तर उपाधि धारक होना आवश्यक है। विस्तृत जानकारी बाबत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पत्र क्रमांक एफ-969/1-9//2012/38-1, भोपाल दिनांक 08.08.2016 की कण्डिका 3.0 का अवलोकन करें।
5. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारम्भिक प्रक्रिया निम्नानुसार है:
   (i) **पंजीयन प्रक्रिया (Registration Process):** विभागीय वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in के मुख्य-पृष्ठ (Home Page) पर दिए गए लिंक **"Online Invitation for Guest Faculty 2016"** के माध्यम से अतिथि विद्वान के Login वेबपेज पर पहुचेंगे। आवेदक को सर्वप्रथम अपनी Basic Details एवं Address दर्ज करते हुए पंजीयन करना होगा। पंजीयन के दौरान आवेदक को अपना ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। पंजीयन उपरान्त आवेदक को User_Id एवं Password प्राप्त होगा। कृपया इसे नोट कर संभालकर रखे ताकि आगामी कार्यो हेतु इसका उपयोग किया जा सके।

   (ii) लॉग-इन उपरांत आवेदकों हेतु निम्न मॉडयूल्स उपलब्ध रहेंगे:

   Home, Upload Photo & Signature, Check Your Score, Register Choices, Your Choice v/s Available Choices, Print Application & Choices.

   (iii) आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि समस्त जानकारियों को पूर्ण सावधानीपूर्वक भरे, क्योकिं आपके द्वारा दर्ज जानकारियां ही अंतिम होगी। इस बार आपको अपने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाना होगा। यदि आपने गलत जानकारी दर्ज कर प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया या आपके आवेदन के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आपको सम्बंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय से दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर आपत्ति का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्यतः करवाना होगा।

   (iv) **शासकीय महाविद्यालयों में कार्य-अनुभव का लाभ:** सत्र 2015-16 तक शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में अर्जित अनुभव की जानकारी भी दर्ज कर उसका लाभ ले सकेंगे। लायब्रेरियन / क्रीड़ा-अधिकारी की स्थिति में कालखण्डों के स्थान पर कुल कार्य-दिवसों की जानकारी देना होगी। नियमानुसार आवेदकों को अधिकतम 05 सत्रों के लिए ही अनुभव का लाभ प्रदान किया जाना है। अतः केवल उन्ही पांच शैक्षणिक सत्रों की जानकारी देवें जिसमें उन्हें अनुभव का अधिकतम अधिभार प्राप्त हो।

   शासकीय महाविद्यालयों में जिन अभ्यर्थियों ने स्ववित्तीय योजना के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार अनुभव के आधार पर वरियता के अंकों का लाभ दिया जावेगा। यदि आवेदक ने एक शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया है तो, एक शैक्षणिक सत्र के समस्त कालखण्डों अथवा कार्य दिवसों का कुल योग ही प्रविष्ट करें। यदि, प्राचार्य द्वारा दिए गए किसी अनुभव प्रमाण-पत्र में कुल कालखण्डों अथवा लायब्रेरियन/क्रीड़ा अधिकारी की स्थिति में कार्य-दिवसों का उल्लेख न हो तो तत्काल दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र समय रहते बनवा लेवें।

   राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में सम्बंधित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले आवेदकों के अनुभव को भी मान्य किया गया है।

   (iv) **ग्रेड/अंको के संबंध में:** आजकल कुछ विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा अंकों के स्थान पर ग्रेड-पाईंट प्रदान किए जाते हैं। अतः आवेदक को स्नातकोत्तर कक्षा में प्राप्त ग्रेड-पाईंट को समतुल्य अंकों में परिवर्तित कर सम्बंधित कॉलम में पूविष्टि करना होंगा।

   (v) **शैक्षणिक संभाग का चयन:** नवीन व्यवस्था के अंतर्गत आवेदक को केवल एक ही शैक्षणिक संभाग (क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग) का चयन करना होगा, अतः सावधानीपूर्वक पदों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही संभाग का चयन करें।

   (vi) शासन द्वारा समय-समय पर प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों/ग्रन्थपाल/क्रीड़ा-अधिकारीयों के स्थानांतरण किये जाते हैं अतः विभागीय वेबसाइट / वेबपोर्टल पर समय-समय पर दर्शायी गयी रिक्तियां परिवर्तनशील हो सकती है।

(उमाकांत पाण्डेय)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल